

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, पायलां कलां

प्रकरण सं.:-213/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1504

दिनांक:- 13.06.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी पायलां कलां एवं भू.अ.नि. पायलां कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पायलां कलां तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2072-2075 में खाता संख्या 61 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पायलां कलां	61	537	तुलसा जोजे जेठा	तुलसा उर्फ तुलसीदेवी पत्नि जेटूसिंह शेष बदुस्तर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 13,06, 18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1505-1507

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री तुलसा उर्फ तुलसीदेवी पत्नि जेटूसिंह निवासी पायलां कलां तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी